फा. सं. ई-12011/01/यूआईडीएआई/हिंदी /98
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय)

बंगला साहिब रोड, काली मंदिर के पीछे,
गोल मार्केट, नई दिल्ली -110001

दिनांक: 10 सितंबर, 2021

विषय: 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 2021 के शुभ अवसर पर माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी का संदेश जारी करने विषयक।

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 14 सितंबर 2021 को हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संदेश जारी किया जा रहा है। संदेश की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

2. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त **"हिंदी दिवस संदेश"** का अवलोकन करें और संदेश में माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(इंदर पाल)
सहा. निदेशक (रा.भा.)
सितंबर, 2021

1049/ADG/KM
13/09/2021

अनुलग्नक: यथोपरि

वितरण:

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी (ओ.एस.डी)
2. सभी उपमहानिदेशकों के निजी सचिव, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय)।
3. सभी सहायक महानिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय)।
4. सभी उपनिदेशक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय)।

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त निदेशक (रा.भा.), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. अनुभाग अधिकारी, के.एम. पोर्टल – कृपया इस संदेश को यूआईडीएआई की वेबसाइट और के.एम. पोर्टल पर अपलोड करें।
3. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
4. प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरू/डाटा केंद्र, मानेसर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।

डॉ. सौरभ गर्ग, भा.प्र.से.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भा.वि.प.प्रा.

सत्यमेव जयते

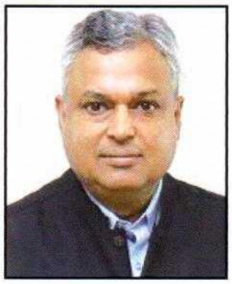

संदेश

प्रिय साथियों,

हिंदी दिवस (14 सितंबर) के अवसर पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में कार्यरत सभी साथियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

भारत विविध भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों का देश है। सभी भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र की बहुत ही समृद्ध और सशक्त भाषा हैं। इनमें हिंदी सदियों से एक संपर्क भाषा के रूप में, सभी भाषाओं और संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य कर रही है। हमारे संविधान में यही व्यवस्था की गई है कि राजभाषा हिंदी का विकास इस प्रकार से किया जाए कि वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। भारत की संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर, 1949 को, हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को **'हिंदी दिवस'** के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का उद्देश्य भारत के निवासियों को आधार नंबर के जरिए एक विशिष्ट पहचान उपलब्ध कराना है, ताकि निवासी कहीं भी, कभी भी सत्यापन के जरिए सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें। आधार के नामांकन एवं अद्यतन और अन्य सेवाओं के जरिए यूआईडीएआई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और आत्मनिर्भर भारत को लेकर सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लाभों को जनता तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अन्य कार्यों के साथ ही, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण संघ की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति भी पूर्ण समर्पित है। व्यावसायीकरण और डिजीटलीकरण के इस युग में हिंदी का प्रयोग हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। प्राधिकरण द्वारा विकसित ऐप्प 'एम-आधार', चैटबोट, निवासी पोर्टल, वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। यह हर्ष का विषय है कि हमारे प्राधिकरण में राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ तकनीकी कार्यों में भी सहजता के साथ किया जा रहा है।

राजभाषा नीति प्रेरणा और प्रोत्साहन की नीति है, अतः मैं प्राधिकरण मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रौद्योगिकी केंद्रों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील करता हूं कि वे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि सुनिश्चित करें तथा कोविड-19 के सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लें और इस आयोजन को सफल बनायें।

हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको पुनः मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।

सौरभ गर्ग
(डॉ. सौरभ गर्ग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नई दिल्ली।
14 सितंबर, 2021